JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

Ref No: BRLPS/Admin/04/06/Vol-V/4916 Date: 03/01/2014

कार्यालय आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा सामुदायिक निवेश निधि का उपयोग सामुदायिक संगठन के स्तर पर निर्णय क्षमता बढ़ाने एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षो में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, आजीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

ज्ञात हो कि कार्यालय आदेश संख्या : BRLPS/Admin/Vol-III/10/2670 दिनांक 07/11/12 के अनुसार आरंभिक पूंजीकरण निधि के तहत अधिकतम 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) की राशि निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission) स्तर पर आरंभिक पूंजीकरण निधि के अंतर्गत अधिकतम 60,000 रुपये (साठ हजार रुपये) की राशि उपलब्ध है। समुदाय की जरुरत को ध्यान में रखते हुए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि के तहत अधिकतम 60,000 रुपये (साठ हजार रुपये) की राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। 01 जनवरी 2014 से सामुदायिक संगठनों के माध्यम से अथवा सीधे स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली आरंभिक पूंजीकरण निधि की अधिकतम राशि 60,000 रुपये (साठ हजार रुपये) होगी ।

स्वयं सहायता समूह के स्तर पर सदस्यों द्वारा की गयी बचत ही उनकी अपनी निधि का हिस्सा होता है। इस निधि को बढ़ाने हेतु ताकि सदस्य अपनी छोटी-छोटी जरुरतों को समूह स्तर पर ही पूर्ण कर सकें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा अधिकतम 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये) की राशि का निर्धारण परिक्रमी निधि (Revolving Fund) के रुप में किया गया है। यह राशि स्वयं सहायता समूह के स्तर पर ही रहेगी एवं इस राशि को ग्राम संगठन या किसी अन्य सामुदायिक संगठन को वापस करने की जरुरत नहीं होगी। यह राशि पूर्णतः स्वयं सहायता समूह के स्तर पर ही

आजीविका मिशन के प्रावधानों के अनुसार बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा स्वयं सहायता समूहों को परिक्रमी निधि के रुप में अधिकतम 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये) की राशि देने का निर्णय लिया गया है।

यह निदेशित है कि ऐसे समूह जो पंचसूत्र का पालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं तथा जिन्हें इसके पहले परिक्रमी निधि की राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें यह राशि इस आदेश के 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करवा दें। यह भी निदेशित है कि जहॉ भी संकुल स्तरीय संगठन/ग्राम संगठन बने हुए हैं वहॉ यह राशि संकुल स्तरीय संगठन/ग्राम संगठन के माध्यम से ही स्वयं सहायता समूहों को दी जाएगी।

ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें भविष्य में सभी मापदंण्डो को पूरा करने के उपरांत सदस्यों की जरुरतों को पूर्त्ति करने हेतु परिक्रमी निधि तथा आरंभिक पूंजीकरण निधि दी जाएगी, उन्हें एकमुश्त अधिकतम 75 हजार रुपये (पचहत्तर हजार रुपये) की राशि दी जाएगी। जिला परियोजना कियान्वयन इकाई के द्वारा राशि निर्गत करते समय यह उल्लेख करना जरुरी होगा कि 60,000 रुपये (साठ हजार रुपये) की राशि का आरंभिक पूंजीकरण निधि के रुप में तथा 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये) की राशि का परिक्रमी निधि के रुप में समायोजन होगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला परियोजना कियान्वयन इकाई की होगी।

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

3/1/2014

अरविन्द कुमार चौधरी
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

प्रतिलिपिः

1. Addl. CEO/OSD/Director/CFO/AO/FO/PS/SFMs
2. All SPMs/PMs/DPMs
3. All TMs/TOs/BPMs/Thematic Managers/YPs
4. IT Section
5. Concerned File